न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—276/2015/223 (2015/00358)

1. रामकरण पुत्र गंगाबिशन, जाति कंजर, निवासी कंजर बस्ती, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 3.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 34/2012.

उपस्थितः—

1. श्री तुलवीर सिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 2.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम देवखेड़ा पटवार क्षेत्र खवास, तह0 केकड़ी की वादग्रस्त भूमि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खाता नंबर नया 1 पुराना 1 के खसरा नंबर खसरा नंबर 213, 214, 215 सिवायचक खाते में दर्ज है जो कि वादी के वर्षो से कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है तथा उपरोक्त भूमि वादी को पूर्व में आवंटन हुई थी । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादवर्णित आराजियात खसरा नंबर पुराना 3008 मिन रकबा 7—15—03 बीघा दिनांक 22.2.1976 को भूमिहीन होने के कारण ग्राम खवास कैम्प में वादी को आवंटन की गई थी तथा कब्जा सुपुर्द किया

गया था तभी से आवंटनशुदा भूमि पर वादी/अपीलांट बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजियात की वादी के नाम पासबुक भी जारी की गई है । वर्तमान में भी विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त वादी/अपीलांट का ही है । वाद वर्णित आराजियात सेटलमेंट अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के तथा वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वर्तमान राजस्व रिकार्ड आधार जमाबंदी में वादी का नाम विलोपित कर काबिल काश्त भूमि अंकन कर कृषि सहकारी समिति के नाम अंकन कर दी जो गलत एवं अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया तथा वाद को कैम्प खवास में रखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वाद पत्र पर गहनता से सुनवाई न कर खातेदारी व अधिकारों पर निर्णय नहीं देने से वाद पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु वाद को अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात की राजस्व रिकार्ड में किस्म पेटा तालाबी प्रथम है जो धारा 16 से प्रतिबंधित होकर ऐसी भूमियों की खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा नंबर 3008 स्वंय को आवंटित होने के आधार पर खातेदार का अनुतोष चाहा है। अपीलांट ने विवादित आराजी पर अपने कब्जे काश्त के संबधं में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है केवल मात्र पासबुक के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी ने जवाब पेश कर कथन किया है कि विवादित राजस्व रिकार्ड में पेटा तालाब के रूप में दर्ज है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि विवादित भूमि पेटा तालाबी भूमि होने से धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसकी नियमानुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णययथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.7.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 2.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर